निर्णय– भगवानदास बनाम नानकचंद वगै0
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 54, 188 आर.टी.एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी: श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वाद सख्या: 05 / 2022

निर्णय दिनांक: 15.02.2023

1. भगवानदास पुत्र श्री भावनाराम उम्र 47 साल जाति खत्री निवासी सीकरी तहसील नगर हाल तहसील सीकरी जिला भरतपुर।

---–वादी

बनाम

1. नानकचन्द उर्फ नानकसिंह पुत्र स्व. श्री भावनाराम (मृतक)
   1/1 लाजवंती बेवा नानकसिंह उर्फ नानकचन्द
   1/2 गुरूबिन्दरसिंह पुत्र नानकसिंह उर्फ नानकचन्द
   1/3 जीतकौर पुत्री नानकसिंह उर्फ नानकचन्द
   1/4 सतनामकौर पुत्री नानकसिंह उर्फ नानकचन्द
   जातियान खत्री निवासी मकान नं. 394 पांदनगर नई दिल्ली।
2. संतलाल पुत्र श्री भावनाराम जाति खत्री निवासी सीकरी हाल 56 ए. राजेन्द्र पार्क एक्सटेन्सन नागलोई दिल्ली–4
3. अमृतलाल पुत्र श्री भावनाराम जाति खत्री निवासी सीकरी हाल 436 बी.ए. टाइप 3 डी. एल. डब्ल्यू. कोलोनी वाराणसी (यू.पी.) (मृतक)
   3/1 राजरानी अरोडा पत्नि अृतलाल
   3/2 स्पर्श आरोडा पुत्र अमृतलाल
   3/3 हर्ष अरोडा पुत्र अमृतलाल
   3/4 मुस. पप्पी अरोडा पुत्री अमृतलाल
   जाति खत्री निवासी ग्राम विखारीपुर प्लाट नं. 7 कृष्णा ब्लाक वाराणसी (यू.पी.)
4. सुभाषचन्द पुत्र भावनाराम जाति खत्री निवासी सीकरी हाल 2246 राजापार्क शकूरबस्ती दिल्ली–34,

---–असल प्रतिवादीगण

5. श्रीमान तहसीलदार साहब नगर हाल तहसीलदार सीकरी।
6. श्रीमान नायब तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार महोदय, उपतहसील सीकरी।

---–फोरमल प्रतिवादीगण

7. कमरखां पुत्र इलाई कोम मेव निवासी सीकरी तहसील नगर हाल तहसील सीकरी (मृतक)
   7/1 फजरी पत्नी कमरखां उम्र 58 साल
   7/2 हमसीरा पुत्री कमरखां उम्र 30 साल
   7/3 साकिर उर्फ सकरूल्ला पुत्र कमरखां (मृतक)
   7/4/1 तहरीना पत्नि स्व. साकिर उर्फ सकरूल्ला पुत्र कमरखां जाति मेव निवासी सीकरी तहसील नगर।
   7/4/2 सायमा पुत्री
   7/4/3 शम्मी पुत्री
   नाबालिगान जरिये माता तसरीना पत्नि साकिर उर्फ सकरूल्ला जाति मेव निवासी सीकरी तहसील नगर हाल तहसील सीकरी

15/2/23

7 / 4 / 4 फरहान पुत्र | नाबालिगान जरिये माता तसरीना पत्नि साकिर उर्फ
7 / 4 / 5 नासिम पुत्र | जाति मेव निवासी सीकरी तहसील नगर हाल तहसील

दावा अंतर्गत 53, 54, 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितः—

1. श्री संदीप मदान अधिवक्ता वादी।
2. श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी।

निर्णय

यह वादपत्र वादी ने इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 240/ 241 / 0.33, 242 / 0.34, 243 / 0.32, 244 / 0.28, 245 / 0.51, 256 / 0.03, 252 / 0.35, 26 38, 265 / 0.27, 266 / 0.19, 273 / 0.30, 274 / 0.38, 278 / 0.32 कुल किता 14 रकवा वाके ग्राम दनियालपुर खेडा तहसील सीकरी में स्थित है सबूत में नकल जमाबन्दी हाल पे यह है कि विवादित आराजी मुन्दर्जे चरण सं. 2 वाद पत्र वादी व प्रतिवादीगण असल ज खास भाई है 1/5–1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व उसी अनुरूप ही सम्मलित रू मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व आज भी कर रहे है। अब प्रतिवाद असल के मन में बदयान्ती आ गई है जो कि वादी को सम्मलित रूप से काश्त करने मे व्यव उत्पन्न कर रहे है जिससे तहत कभी किसी दिशा में तो कभी किसी दिशा में काश्त करने जाते है लिहाजा अब सम्मलित रूप से काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। प्रतिवादीगण अ आराजी मुत. से वादी को बेदखल कर दीगर सख्सो को रहन वय मुन्तकिल करने पर आ है जिसकी प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.05.2006 को कस्बा सीकरी मे स्पष्ट तौर से ऐलानि धमकी दी है कि हम आराजी मुत. से वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी बिना तकसीम कराये दीगर सख्सो को रहन वय मुन्तकिल कर वादी को बेदखल कर देगें अ प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को ऐसी अपूर्णीय क्षति हो जिसकी पूर्ति जरे नकद धनराशि से नहीं हो सकेगी विदि वजह वादी दावीदार है और प्रतिवादीग से आराजी मुत. को तकसीम करा पाने व स्थांयी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का मुश्तहैक वादी की वाद की बावत विनाय मुखासमत प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 25.05.2006 को कस्ब सीकरी से ऐलानिया धमकी देने से उत्पन्न हुई है जिसे श्रवण करने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिका हासिल है। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुत0 को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रे बनाये जाकर पृथक पृथक लगान व खाता काय की जाकर उनके हिस्से के अनुरूप किया जावे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किय गया। दिनांक 07.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 27.07.2007 को प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 02.03.200

प्रतिवादी संख्या 04 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.09.2014 को प्रतिवादी संख्या 3/2, 3/3 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3/2, 3/3 के विरूद्ध दिनांक 17.09.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3/1 व 3/4 के दिनाक 26.09.2014 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/4 के विरूद्ध दिनांक 26.09.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। न्यायालय में विचाराधीन अन्य वाद पत्र 83/06 संतलाल बनाम नानकचंद बगै0 एवं इस प्रकरण में पक्षकारान समान होने व रिलीफ समान होने के कारण इन दोनों पत्रावलियों को दिनांक 08.11.2011 को एक साथ कन्सोलिडेट किया गया। दिनांक 17.10.2016 को उभय पक्ष के अभिभाषकों ने प्रकरण में विवादित आराजी के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के कुर्रे कायम करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। दिनांक 17.10.2016 को उभय पक्ष के निवेदनानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार सीकरी से दिनांक 15.11.2022 को कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 23.11.2022 को उभय पक्ष के अभिभाषकों ने कुर्रे रिपोर्ट की बाबत अपनी सहमति विगत तारीख पेशी को उभय पक्ष के अभिभाषकों ने निवेदन किया कि तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभय पक्ष की सहमति आ चुकी है अतः दावा वादी उभय पक्ष की सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी खसरा नंबर 240/0.31, 241/0.33, 242/0.34, 243/0.32, 244/0.28, 245/0.51, 256/0.03, 252/0.35, 263/0.38, 265/0.27, 266/0.19, 273/0.30, 274/0.38, 278/0.32 बाके ग्राम दनियालपुर खेडा तहसील सीकरी की बाबत तहसीलदार सीकरी द्वारा प्रस्तुत कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर सहकाश्तकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:–

1. श्री भगवानदास पुत्र भावनाराम कौम खत्री सा. सीकरी खातेदार

खसरा नंबर	रकवा	
240	0.19	वतरफ पश्चिम
273	0.30	पूर्ण
274	0.38	पूर्ण

2. श्री सन्तलाल पुत्र भावनाराम कौम खत्री सा. सीकरी हाल 56 ए राजेन्द्र पार्क एक्टेन्शन नागलोई दिल्ली 4 खातेदार

खसरा नंबर	रकवा	
245	0.16	वतरफ पूर्व
263	0.38	पूर्ण
278	0.32	पूर्ण

3. श्री सुभाषचन्द पुत्र भावनाराम कौम खत्री सा. सीकरी हाल राजापार्क शकूरबस्ती दिल्ली खातेदार

खसरा नंबर रकवा

15/2/23

Scanned with CamScanner

240/1	0.12	वतरफ पूर्व
241	0.28	वतरफ पश्चिम
265	0.27	पूर्ण
266	0.19	पूर्ण

4. श्रीमति ईश्वरी अरोडा उर्फ राजअरोडा पत्नि अमृतलाल, स्पर्श अरोडा, हर्ष अरोडा अमृतलाल आरती उर्फ पप्पी पुत्री अमृतलाल बहिस्सा बराबर कौम खत्री सा. सीकरी प्लाट नं 7 कृष्णा कालोनी वाराणसी (यू.पी.) खातेदार

खसरा नंबर	रकवा	
241	0.05	वतरफ पूर्व
242	0.34	पूर्ण
243	0.32	पूर्ण
259	0.15	वतरफ पश्चिम

5. फजरी पत्नि कमरखाँ हिस्सा 1/4, हंसीरा, जमशीदा पुत्री कमरखां हिस्सा 1/2 त... पत्नि सकरूल्ला हिस्सा 1/20 नाबालिग सायमा, सनफ पुत्रीयान फरहान, नसीम ... सकरूल्ला हिस्सा 4/20 वली सरपरस्त माता तसरीना खुद कौम मेव सा. सोलपुर ... खातेदार

खसरा नंबर	रकवा	
244	0.28	पूर्ण
245	0.35	वतरफ पश्चिम
256	0.03	पूर्ण
259	0.20	वतरफ पूर्व

अतः विवादित आराजी खसरा नंबर 240/0.31, 241/0.33, 242/0.34, 243/0.32, 244/0.28, 245/0.51, 256/0.03, 252/0.35, 263/0.38, 265/0.27, 266/0.19, 273/0... 274/0.38, 278/0.32 बाके ग्राम दनियालपुर खेडा तहसील सीकरी का उपरोक्तानुसार विभा... विभाजन किया जाकर अलग–अलग खाते व अलग–अलग लगान कायम की जावे। इसी प्रक... राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक ... 02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

15/2/23

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर)